

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा-18/भौतिक सत्या./2024/

दिनांक :

निदेशक,
निरीक्षण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-भौतिक सत्यापन के बकाया पैरो के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर कैम्प आयोजित करने के संबंध में।

संदर्भ:- दिनांक 30.04.2024 को निदेशालय में आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 30.04.2024 को निदेशालय में आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु मई माह जिला स्तर पर कैम्प का आयोजन किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस क्रम में निवेदन है कि जिलानुसार भौतिक सत्यापन कैम्प का कलैण्डर बना कर इस विभाग को सूचित करने का श्रम करें, ताकि तदनुसार बकाया पैरो की अनुपालना हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश प्रदान करते हुए कैम्प आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा-18/भौतिक सत्या./2024/ 233-37

दिनांक :

02/5/24

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें- समस्त राजस्थान।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी- समस्त राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करे।



वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर